# न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

**अपील संख्याः–27/2007 (223 आर. टी. एक्ट)**

आरसीएमएस संख्या :– 2007/00032

**उनवान**

1. मु0 मिश्री देवी (मृतक)
   1/1. गनपत पुत्र कुन्दन जाति माली निवासी कॉमा जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. दुलीचन्द पुत्र चिरंजी
2. राम सिंह पुत्र रामचन्द (मृतक)
   2/1. रमेश } पुत्रगण राम सिंह
   2/2. प्यारे }
   2/3. शान्ती पुत्री राम सिंह
3. हरीचरन पुत्र रामचन्द (मृतक)
   3/1. चिरोजा वेवा हरीचरन
   3/2. नारायन } पुत्रान हरीचरन
   3/3. खैमचन्द }
   3/4. लक्ष्मी पुत्री हरीचरन
4. रतनलाल पुत्र परसादी (मृतक)
   4/1. श्रीचन्द पुत्र रतनलाल
   4/2. मोहनलाल पुत्र रतनलाल(मृतक)
   4/2/1. अशोक } पुत्रगण मोहनलाल
   4/2/2. सरूप }
   4/2/3. द्रोपदी पुत्री मोहनलाल
   4/2/4. हुक्म सिंह
   4/2/5. बाबूलाल } पुत्रगण रतनलाल
   4/2/6. देवी सिंह
   4/2/7. परभाती
   4/2/8. गिरधर
5. सुक्को धर्म पत्नी दुलीचन्द जाति माली निवासी भुसावर जिला भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**अपील संख्या :– 119/2009 (223 आरटीएक्ट)**

आरसीएमएस संख्या :– 2009/00033

**उनवान**

दुलीचन्द मुतबन्ना परमा जाति माली निवासी भुसावर तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. मिश्रीदेवी पुत्री चंदन जाति माली निवासी कामा जिला भरतपुर(मृतक)
   - 1/1. गनपत लाल पुत्र कुन्दन लाल
   - 1/2. लक्ष्मन (मृतक)
   - 1/2/1. जावित्री पत्नी स्व0 लक्ष्मन
   - 1/2/2. सूखा } पुत्र स्व0 लक्ष्मन
   - 1/2/3. छुट्टन }
   - 1/3. सत्यनारायन पुत्र कुन्दनलाल

   } जाति माली निवासी कॉमा जिला भरतपुर।

   - 1/4. सन्ता पुत्री कुन्दन पत्नी भोलू जाति माली निवासी ग्राम रामवास तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर।
   - 1/5. विमला पुत्री कुन्दनलाल पत्नी निनुआराम जाति माली निवासी वरनावई तहसील किरावली जिला आगरा।
   - 1/6. बबली पुत्री कुन्दनलाल पत्नी अशोक जाति माली निवासी कस्बा बयाना भीतरवाडी बयाना जिला भरतपुर।
2. रामसिंह पुत्र रामचरन जाति माली निवासी भुसावर जिला भरतपुर(मृतक)
   - 2/1. रमेश } पुत्रान राम सिंह
   - 2/2. प्यारे }
   - 2/3. शांति पुत्री राम सिंह

   } जाति माली नि0 भुसावर तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
3. हरीचरन पुत्र रामचरन जाति माली निवासी भुसावर जिला भरतपुर(मृतक)
   - 3/1. चिरौंजी वेवा हरिचरन
   - 3/2. नारायण पुत्र हरिचरन
   - 3/3. खैमचन्द पुत्र हरिचरन
   - 3/4. लक्ष्मी पुत्री हरिचरन

   } जाति माली नि0 भुसावर तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
4. गनपतलाल पुत्र श्री कुन्दनलाल जाति माली निवासी कॉमा जिला भरतपुर।
5. रतनलाल पुत्र परसादी जाति माली निवासी भुसावर तहसील वैर जिला भरतपुर।
   - 5/1. श्रीचन्द पुत्र रतन
   - 5/2. मोहनलाल पुत्र रतन(मृतक)
   - 5/2/1. अशोक पुत्र मोहनलाल
   - 5/2/2. सरूप पुत्र मोहनलाल
   - 5/2/3. द्रोपदी पुत्री मोहनलाल
   - 5/3. हुक्म सिंह पुत्र रतन
   - 5/4. बाबूलाल पुत्र रतन
   - 5/5. देवी सिंह पुत्र रतन
   - 5/6. परभाती पुत्र रतन
   - 5/7. गिरधर पुत्र रतन

   } जाति माली नि0 भुसावर तहसील वैर जिला भरतपुर।
6. सुक्को पत्नी दुलीचन्द

.....रेस्पोंडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर, वैर दिनांक 09.04.1991 मि.नं. 24/79 ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अभिभाषकगण :–

1. अभिभाषक मिश्रीदेवी पक्ष श्री दिनेश शर्मा उपस्थित।
2. अभिभाषक दुलीचन्द पक्ष श्री लोकेन्द्र नाथ चतुर्वेदी उपस्थित ।

निर्णय दिनांक–30.08.2018

1. यह दोनों अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलक्टर वैर के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.1991 के विरूद्ध पेश की गई है। दोनों अपीलो के तथ्य, विवादित आराजी एवं पक्षकार समान होने के कारण एक ही निर्णय से निर्णित की जा रही है। निर्णय की प्रति, पृथक–पृथक दोनों पत्रावलियों में शामिल की जावें।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में चार दावे, प्रथम मिश्री देवी बनाम दुलीचन्द, द्वितीय दुलीचन्द बनाम मिश्री देवी, तृतीय रामसिंह बनाम दुलीचन्द, चतुर्थ गनपत बनाम दुलीचन्द पेश हुये। अधीनस्थ न्यायालय ने चारो दावो को कन्सोलिडेट कर एक ही निर्णय से निस्तारित किया गया। इन चारा दावो में से दो दावे, राम सिंह बनाम दुलीचन्द एवं गनपत बनाम दुलीचन्द, अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिये गये। दावा, मिश्री देवी बनाम दुलीचन्द के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि मिश्री देवी ने दुलीचन्द वगै0 के विरूद्ध एक दावा इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी कुल किता 06 रकवा 21 बीघा 11 विस्वा वाके ग्राम भुसावर तहसील वैर के वादिनी, मिश्रीदेवी के पिता परमा खातेदार काश्तकार थे। परमा की मृत्यु के बाद विवादित आराजी विरासतन उसकी मॉ मु0 चन्दन के नाम आयी। उक्त विवादित आराजी में से खसरा नम्बर 791 व 793 किता 02 रकवा 17 बीघा 5 विस्वा को वादिनी की मॉ मु0 चन्दन में वादिनी मिश्री देवी के पक्ष में रजिस्टर्ड दान पत्र करा दिया। परन्तु प्रतिवादी दुलीचन्द ने स्वयं को परमा का गोद पुत्र बताते हुए, सम्पूर्ण विवादित आराजी पर , राजस्व कर्मचारियों से साज कर अपने नाम दाखिला खारिज करा लिया। प्रतिवादी दुलीचन्द उक्त इन्द्राजो के आधार पर विवादित आराजी को खुर्द–बुर्द करने की धमकी देता है। अतः वाद प्रस्तुत कर, विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं प्रतिवादी दुलीचन्द को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया।

3. दूसरी अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी दुलीचन्द वगै0 ने प्रतिवादिनी मिश्रीदेवी के विरूद्ध एक दावा इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार वादी दुलीचन्द है। प्रतिवादिनी मिश्रीदेवी का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। परन्तु प्रतिवादिनी मिश्रीदेवी स्वयं को परमा की पुत्री बताते हुए, विवादित आराजी को जबरन हडपना चाहती है। अतः प्रतिवादिनी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनों वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से वादी एवं प्रतिवादी को विवादित आराजी में वहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी– प्रतिवादी, ने एक–दूसरे के विरूद्ध, वर्तमान दोनों अपीले इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. अपीले प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। दोनों पक्षो के अधिवक्तागणो की बहस सुनी गयी।

6. विद्वान अधिवक्ता मिश्रीदेवी पक्ष का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रैस्पो0 दुलीचन्द को 1/2 हिस्से का खातेदार मानकर भारी कानूनी भूल की है। अपीलाण्ट मिश्री देवी का दावा पूरा काबिल डिक्री के था। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर का निर्णय करते समय यह मानकर भारी भूल की है कि मिश्री तथा दुलीचन्द मृतक परमा के पुत्र एवं पुत्री हैं तथा वहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हैं। जबकि दुलीचन्द मृतक परमा का पुत्र नहीं है, यदि दुलीचन्द मृतक परमा का पुत्र होता तो परमा के स्वर्गवास के बाद उसकी विरासत के दाखिल खारिज के विरूद्ध चाराजोही करता, परमा के स्वर्गवास के बाद दाखिल खारिज की कार्यवाही में खुद दुलीचन्द ने दाखिल खारिज चन्दन वेवा परमा के नाम करने में अपनी कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। इसके अलावा कथित गोदनामा में दुलीचन्द की आयु 16 वर्ष अंकित है जबकि नियमानुसार कोई व्यक्ति 15 वर्ष की आयु से कम में ही गोद जा सकता है। दुलीचन्द ने गोदनामे को गवाहो से सिद्ध नहीं करवाया है, जबकि गोदनामा कम से कम दो गवाहो से सिद्ध करवाना पडता है अतः कथित गोदनामा फर्जी व कूटरचित दस्तावेज है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता दुलीचन्द पक्ष ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार परमा था, परमा के कोई सन्तान नहीं होने के कारण, उसने दुलीचन्द को गोद लिया जाकर गोदनामा रजिस्टर्ड कराया। मिश्रीदेवी परमा की पुत्री नहीं है, दुलीचन्द ही एक मात्र वारिस है। गोदनामा सन् 1958 का है, जो एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है। उक्त गोदनामें में स्पष्ट अंकित है कि परमा के कोई सन्तान नहीं है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि मिश्रीदेवी का उक्त गोदनामे को निरस्त कराने बाबत् वाद, खारिज हो चुका है। गोदनामा आज भी वैध है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मिश्रीदेवी को मृतक की पुत्री मानते हुए, विवादित आराजी में 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

8. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु दादरसी सहित आठ तनकियॉ कायम की गयी हैं। उक्त तनकियों में दोनों पक्षो के दावे की सफलता के लिए तनकी संख्या 01 मूलभूत है। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

9. <u>तनकी संख्या 01</u>" आया वादनी विवादित आराजी कुल किता 6 रकवा 21 बीघा 11 विस्वा वाके भुसावर तहसील वैर की खातेदार काश्तकार है एवं मृतक परमा की वारिस है" प्रकरण में यह तथ्य तो निर्विवाद है कि विवादित आराजी पूर्व में मृतक परमा के नाम खातेदारी में दर्ज रही है एवं जमाबन्दी संवत 2029–32 में विवादित आराजी गोदनामा के आधार पर दुलीचन्द की खातेदारी में चली गयी। वादी–प्रतिवादी दोनों, स्वयं को मृतक परमा का एक मात्र वारिस बताते हुए, सम्पूर्ण विवादित आराजी पर अपना अधिकार प्रकट कर रहे हैं। जहॉ तक गोदनामा की वैधता का प्रश्न है, परमा द्वारा विधिवत इसका पंजीयन कराया गया है एवं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मिश्रीदेवी द्वारा कथित गोदनामा को निरस्त कराने बाबत् दावा भी न्यायालय मुंसिफी बयाना से खारिज हो चुका है। लिहाजा गोदनामा आज भी वैध है एवं पंजीकृत गोदनामा के आधार पर यह स्पष्ट है कि परमा ने दुलीचन्द को गोद लिया था। मिश्रीदेवी उक्त गोदनामा को विधिवत नहीं होने वाले तथ्य को सिद्ध करने में पूर्णतयाः असफल रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी तय करते समय, उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक कथनों की विस्तार से विवेचना की जाकर, दुलीचन्द को परमा का दत्तक पुत्र एवं मिश्रीदेवी को परमा की पुत्री होना पाया जाकर, विवादित आराजी में वहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया है। जिसमें हम, हमारे हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय की तनकी विवेचना तर्कसंगत है।

10. **तनकी संख्या 02 लगायत 7**, तनकी संख्या 01 के निष्कर्ष से प्रभावित हैं। अतः इन तनकियों का निर्णय तदनुसार ही है।

11. **अनुतोष** :– उपरोक्त विवेचन के आधार पर मिश्रीदेवी एवं दुलीचन्द का मृतक परमा के वारिस होना स्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही दोनों को विवादित आराजी में वहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया है। दोनों पक्षो ने उक्त तनकी के निर्णय को चुनौती देने योग्य, कोई नया तथ्य, तर्क अथवा साक्ष्य अपील में प्रस्तुत नही किया है। लिहाजा हम दोनों अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

12. अतः आदेश है, दोनों अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, वैर के आदेश दिनांक 09.04.1991 यथावत रखें जाते हैं। दोनों पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

13. निर्णय आज दिनांक 30.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official